श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–27.12.2023 (बुधवार) को समिति कार्यालय रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 65वीं बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति :– बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	उपस्थित
2.	श्री सुनील कुमार, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री कपिलदेव पंडित, अवर सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत) सदस्य, वित्त विभाग, झारखण्ड रांची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	अनुपस्थित
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सेवा–निवृत्त, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
6.	डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य–सचिव	उपस्थित
7.	श्री मुरलीधर कोटवार, सह–शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	अनुपस्थित
8.	श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित

Santosh

02. कार्यसूची की मद संख्या-01 : दिनांक-03.11.2023 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 64वीं बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

03. कार्यसूची की मद संख्या -02 : दिनांक-03.11.2023 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 64वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया; तदनुसार समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन को सर्वसम्मति के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

04. कार्यसूची की मद संख्या-03 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि नेतरहाट प्रवेश परीक्षा सत्रः-2023-24 जिसका परीक्षाफल विगत कुछ दिन पूर्व प्रकाशित किया गया था के संबंध में स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में धनबाद के एक निजी स्कूल/कोंचिग सेंटर से 28 बच्चों का चयन तथा अभी तक कुल 90 बच्चों ने नेतरहाट प्रवेश परीक्षा पास की है को प्रमुखता से प्रकाशित किया था के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए :-

(क) उक्त विषयक जांच हेतु निम्न तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो अपना जांच प्रतिवेदन 01 (एक) माह के अंदर माननीय सभापति, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. को सौंपेगी।

(1) डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सदस्य- कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष

(2) डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद, सदस्य-सामान्य निकाय - सदस्य

(3) श्री आशीष आलोक, सदस्य - सामान्य निकाय - सदस्य

(ख) नेतरहाट प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24 में सफल छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करवाई जाय।

(ग) आगामी प्रवेश परीक्षा का प्रत्येक वर्ष पैटर्न को बदला जाय।

(घ) आगामी प्रवेश परीक्षा से 150 बच्चों का मेडिकल जांच कारवाई जाने के उपरांत 100 सफल बच्चों का परीक्षफल प्रकाशित की जाय।

Santosh

(इ) Sitting Plan, प्रश्न पत्र निर्माण एवं प्रश्न पत्र Moderation इत्यादि विषयक विशेष बदलाव हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

(च) पूर्व में सरकार द्वारा अनुमोदित नेतरहाट प्रवेश परीक्षा के नियमावली को आगामी प्रवेश परीक्षा से लागू करने हेतु सामान्य निकाय से अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वयन की जाय।

उक्त निर्णयों पर अग्रेतर कारवाई हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

05. कार्यसूची की मद संख्या–04 : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह के आचरण के विरूद्ध विद्यालय के कला शिक्षक, श्री अतुल रंजन एक्का ने SC/ST अधिनियम के तहत व्यक्तिगत FIR उनके नाम से दर्ज करवाई थी जिसे पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक–7456/गो. दिनांक–26.11.2022 के द्वारा जांच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध आरोप सत्य पाया गया तथा इसकी संपुष्टि उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–230/गो. लातेहार दिनांक–13.06.2022 द्वारा सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड सरकार से भी की गई थी। उक्त के संदर्भ में माननीय सभापति, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के पत्रांक–19/ने.वि.स./2023 दिनांक–03.05.2023 द्वारा भी प्राचार्य को निर्देश दिया गया था कि व्यक्तिगत वादों/कार्यो हेतु विद्यालय के सरकारी राशि से व्यय न करें के संबंध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस हेतु प्राचार्य द्वारा माननीय उच्च न्यायलय मे एक Affidavit दे दिया जाय कि यह मामला व्यक्ति विशेष के आचरण का है। अतः इस संबंध में डॉ. संतोष कुमार सिंह का नाम प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम पर संशोधित किया जाय तथा पूर्व प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह को भी इस आशय की सूचना दे दी जाय कि इस वाद से संबंधित भुगतान विद्यालय स्तर से वहन नहीं की जायेगी इसका वहन वे स्वंय करेंगे एवं पूर्व में किए गए उनके व्यक्तिगत वाद व्यय (जो विद्यालय द्वारा किया गया है) को विद्यालय के खाते में वापस कराया जाय इस हेतु प्राचार्य को अग्रेत्तर कारवाई हेतु अधिकृत किया गया।

Santosh

06. कार्यसूची की मद संख्या–05 : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्व से संविदा/मानदेय पर कार्यरत सभी शिक्षकों/प्रशिक्षकों का संविदा निरस्त कर पुनः नये स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कर आवश्यकतानुसार विद्यालय सुसंचालन हेतु विद्यालय खुलने के पूर्व शिक्षकों/प्रशिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किया जाना है के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो शिक्षक/प्रशिक्षक पूर्व संविदा/मानदेय में कार्यरत हैं, उनसे पुनः विद्यालय खुलने उपरांत योगदान देने से पूर्व द्विपक्षीय एकरारनामा प्राचार्य नियमानुसार प्राप्त कर लेंगे तथा शेष आवश्कतानुसार शिक्षक/प्रशिक्षकों को संविदा पर रखने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कारवाई कर नियुक्त कर लेंगे। साथ ही अन्य नियमित नियुक्ति हेतु Online Portal निर्माण एवं ससमय अग्रेतर कारवाई करने का निर्देश प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को दिया गया।

07. कार्यसूची की मद संख्या–06 : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय शैक्षणिक उन्नयन हेतु एक एकेडमिक कोर कमिटी के गठन का प्रस्ताव है के संबंध में विगत वर्षो के वार्षिक आंतरिक परीक्षाफल की समीक्षा की गई तथा सम्यक्विचारोपरान्त वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन तथा परीक्षाफल पूर्णतः वहां के शिक्षकों द्वारा प्रतिफलित होता है तथा इसके सुधार/उन्नति हेतु वे स्वयं सक्षम एवं जिम्मेवार हैं अतः प्राचार्य, सभी शिक्षकों/प्रशिक्षकों को अवगत करा दें कि यदि विद्यालय का परीक्षाफल एवं शैक्षणिक उन्नयन अन्य विद्यालयों से श्रेष्ठ नहीं होगा तो उनका वेतनमान प्रभावित होगा, तथा कार्यालय कर्मियों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों को भी अवगत करा दिया जाय कि यदि वे भी विद्यालय हित में कार्य नहीं करते है तो उनकी भी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है।

08. कार्यसूची की मद संख्या–07 : प्राचार्य सह सदस्य सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि समिति स्तर से पूर्व में खुली चयन प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन के आधार पर हुई शिक्षकों की नियुक्ति एंव वरीयता सूची में त्रुटियां व्याप्त है जिसकी सभी सदस्यों द्वारा संबंधित संचिका का अवलोकन एवं समीक्षा की गई, समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जांच हेतु एक समिति गठित की जाय तथा उसकी

Santosh

रिपोर्ट को आगामी सामान्य निकाय की बैठक में रखकर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय इस हेतु प्राचार्य, सह सदस्य सचिव को प्रधिकृत किया गया।

09. कार्यसूची की मद संख्या–08 : मैट्रिक एवं इंटर के बच्चों की विशेष तैयारी हेतु PL करवाए जाने की सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

10. कार्यसूची की मद संख्या–09 : वर्तमान में विद्यालय मुख्य भवन, शैक्षणिक प्रभाग एवं प्रशासनिक भवनों के हो रहें नव निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यो के अनुश्रवण हेतु निम्न पाँच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया जो प्रत्येक सप्ताह हो रहे कार्यो की अनुश्रवण तथा समीक्षा कर प्रतिवेदन के माध्यम से प्राचार्य को सभी आवश्यक रिर्पोट करना सुनिश्चित करेगी :–

(1) श्रीमती राधा कुमारी, शिक्षिका –अध्यक्षा

(2) श्री बिनोद टोप्पो, शिक्षक – सदस्य

(3) श्री रवीश कुमार, शिक्षक – सदस्य

(4) डॉ. राजेश चन्द्र गुप्ता, शिक्षक – सदस्य

(5) श्री रौशन कुमार बक्शी, प्रशासनिक पदाधिकारी – सदस्य

11. कार्यसूची की मद संख्या–10 : कार्यकारिणी समिति की 63वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, लातेहार द्वारा दिये कार्य प्रतिवेदन के आधार पर वर्तमान में विद्यालय मुख्य भवन, शैक्षणिक प्रभाग एवं प्रशासनिक भवनों के प्रसंग में कार्यपालक अभियन्ता भवन प्रमण्डल, लातेहार के पक्ष में सशर्त्त विमुक्त की गई राशि रू. 20000000.00 (दो करोड़) की कर्योत्तर संपुष्टि प्रदान की गई।

12. कार्यसूची की मद संख्या–11 : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल लातेहार स्तर से वर्तमान में संचालित कार्यो के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2021–22 में सरकार द्वारा योजना मद में पाँच करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी, से शेष तीन करोड़ राशि कोषागार लोहरदगा में संधारित है जो नियमानुसार

Santosh

माह फरवरी, 2024 तक कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल लातेहार के पक्ष में न दिये जाने पर सरकार को प्रत्यार्पित करना होगा के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त हो रहे धीमी कार्यो एवं राशि प्रत्यार्पित होना है का उल्लेख करते हुए कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल लातेहार को 15 फरवरी 2024 तक का समय देते हुए पत्र प्रेषित कर दें कि धीमी गति से हो रहे कार्यो के कारण शेष राशि विमुक्त न होने तथा राशि सरकार को प्रत्यार्पण होने की स्थिति में इसके जिम्मेवार वे स्वंय होगें।

13. **कार्यसूची की मद संख्या-12** : वित्तीय वर्ष 2022-23 के वैधानिक अंकेक्षण की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त मे. जे.एन. मित्तल द्वारा दी गई अंकेक्षण प्रतिवेदन की संपुष्टि प्रदान की गई।

14. **कार्यसूची की मद संख्या-13** : विद्यालय में शिक्षकों, प्रशिक्षकों के अतिरिक्त अन्य कर्मी यथा प्रयोशाला भंडारी, चिकित्सालय कर्मियों के दीर्घावकाश के संबंध में समिति गठन के पूर्व की तरह ही सभी अवकाश देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

15. **कार्यसूची की मद संख्या-14** : विद्यालय में नव निर्मित आठवां सेट के आश्रमवर्गो का नामकरण सर्वसम्मति से झारखण्ड राज्य के महापुरुषों के नाम पर रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इसके लिए नाम प्रस्ताव आमंत्रण करते हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

16. **कार्यसूची की मद संख्या-15** : विद्यालय/समिति के विधिक कार्यो हेतु अधिवक्ता को अनुबंधित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इस हेतु अग्रेत्तर कारवाई के लिए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया। श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा ईमेल के माध्यम से दिनांक-18.12.2023 को प्रेषित पत्र जिसमे उन्होने विद्यालय/समिति के साथ कार्य करने मे असमर्थता व्यक्त की है कि सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

17. **कार्यसूची की मद संख्या-16** : वर्तमान प्राचार्य आवास (बंगला संख्या-05) में एक गार्ड रुम, शैचालय एवं गैरेज निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल लातेहार द्वारा उनके पत्रांक-1948 अनु. लातेहार,

Santosh

दिनांक–19.12.2023 द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन का सर्वसम्मति से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

18. **कार्यसूची की मद संख्या–17** : श्री प्रवीन्द्र सिंह एवं अन्य द्वारा विद्यालय भूमि का किये जा रहे अतिक्रमण के संबंध में सर्वसम्मति से न्यायिक प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि विद्यालय परिसर में श्री प्रवीन्द्र को पूर्व में विद्यालय स्तर से आवंटित आवास को स्थानीय प्रशासन के द्वारा खाली करवाने हेतु अतिशीघ्र अग्रेतर कारवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

19. अन्यान्य :–

(i) सभापति द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को वर्तमान में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल लातेहार स्तर से कराये जा रहे मुख्य भवन नवनिर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यो के प्रसंग में वर्ष 1983 के पूर्ववतः जीव विज्ञान विभाग के पास Audio visual परीक्षा हॉल एवं आंतरिक परीक्षा विभाग निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसपर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विभाग द्वारा अनुमोदित DPR के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया गया।

(ii) विद्यालय का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण आए दिन परिसरों मे अनुरक्षण एवं लघु मरम्मती से सम्बंधित कार्यो की आवश्यकता पड़ते रहती है। इस संदर्भ में कार्यो के कार्यान्वन हेतु भवन प्रमंडल लातेहार से अनुरोध करना पड़ता है जिसमे अनावश्यक विलंब होता है। अतएव विद्यालय हित मे कुछेक आवश्यक कार्यो को पंजीकृत वास्तुकार की सहायता से प्राक्कलन एवं रूपरेखा तैयार कराकर करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) राँची स्थित समिति कार्यालय के जीर्णोद्धार कार्य यथाशीघ्र कराने का निर्णय लिया गया इसके लिए अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 05-01-24

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

ज्ञापांक– 01/ने.वि.स./2024 रांची, दिनांक–05.01.2024

प्रतिलिपि– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/प्रो.(डॉ.)कामिनी कुमार,सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति,52,सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची/ डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, (सेवा–निवृत्त),नेतरहाट विद्यालय, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति/श्री मुरलीधर कोटवार, सह – शिक्षक,(सेवा–निवृत्त), नेतरहाट विद्यालय/श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय/प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 05-01-24

सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति

(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक-27.12.2023 (बुधवार) को आहूत 65वीं बैठक की उपस्थिति :-

उपस्थिति :-

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	Santosh 27-12-23
2.	निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	27/12/2023
3.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	27.12.23
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	—
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह-शिक्षक, सेवा-निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	27.12.23
6.	डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य-सचिव	27/12/23
7.	श्री मुरलीधर कोटवार,सह-शिक्षक, सेवा-निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	—
8.	श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	Ashish Alok 27/12/2023